


डिक्री बमुकदमें ईबदाई  
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
 मुकदमा नम्बर-173/2018

1. लालसिंह पुत्र जागरसिंह जाति रायसिंह निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
 बनाम्  
 वादी
1. जसवन्तसिंह पुत्र जागरसिंह जाति रायसिंह निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मोहनसिंह पुत्र जागरसिंह जाति रायसिंह निवासी गुड़िया हाल खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (मृतक)
3. जलोबाई पत्नी मोहनसिंह जाति रायसिंह निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सुखविन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रायसिंह निवासी 8 केएचआर खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. गुरमेलकौर पुत्री मोहनसिंह जाति रायसिंह निवासी 8 केएचआर खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. दीप पुत्री मोहनसिंह जाति रायसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता जलोबाई पत्नी मोहनसिंह जाति रायसिंह निवासी 8 केएचआर खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. बलवन्तसिंह पुत्र जागरसिंह जाति रायसिंह निवासी खाट लबाना तह.
8. चरणसिंह पुत्र हिन्दूमलकोट जिला श्रीगंगानगर।
9. मुखत्यारसिंह पुत्र स्व० करतारोबाई पुत्री जागरसिंह जाति रायसिंह नि० सूरवाला।
10. पालो पुत्री स्व० करतारोबाई पुत्री जागरसिंह जाति रायसिंह निवासी गुड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. विमला पुत्री स्व० करतारोबाई पुत्री जागरसिंह जाति रायसिंह निवासी खाट लबाना तहसील हिन्दूमलकोट जिला श्रीगंगानगर।

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री रियासतअली वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री श्योक्तअली प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं० 4 केएचआर के खाता सं० 118/104 में प०न० 229/204 मु० 19 किलानं० 16, 25, प०न० 230/204 मु० 20 किलानं० 20, 21 प०न० 230/205 मु० 27 किलानं० 1 प०न० 229/205 मु० 28 किलानं० 5,6, कुल 1.771 है० आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 4 केएचआर के खाता सं० 118/104 में से प्रतिवादी सं० 1 ता 4 व गुरदेवाबाई तथा करतारोबाई का नाम व मोहनसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सात्ताना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।  
 बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3-9-19.....को जारी किया गया।



( मीनू वर्मा )  
 सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी